

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 11.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद Dr. Virendra Kumar के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 215 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	अहम सिंह यादव	श्री अरविंद सिंह यादव EMAIL- OFFICE.MPTKG@GMAIL.COM	4	टीकमगढ़
2	आदर्श यादव	श्री राम मिलन यादव EMAIL- OFFICE.MPTKG@GMAIL.COM	1	टीकमगढ़
3	मृदुल अग्रवाल	श्री सुबोध अग्रवाल MOB- 9425141580	1	टीकमगढ़
4	शताक्षी सिंह	श्री जानेन्द्र सिंह EMAIL- OFFICE.MPTKG@GMAIL.COM	1	टीकमगढ़
5	शर्मिष्ठा चौहान	श्री विक्रम वाल्मीकि MOB- 7489426984, 7697825113	1	टीकमगढ़
6	आशुतोष चतुर्वेदी	श्री अनिल प्रकाश चतुर्वेदी MOB- 9752479447	4	छतरपुर
7	निहारिका साहू	श्री सुरेन्द्र साहू MOB- 9993149345	6	छतरपुर
8	शिवप्रताप सिंह बुन्देला	श्री अवधेश प्रताप सिंह MOB- 7999549139	1	छतरपुर
9	अनिका गुप्ता	श्री रोहित गुप्ता MOB- 9826228220	1	छतरपुर
10	कनिशा मिश्रा	श्री अंकित मिश्रा MOB- 9981838597	1	छतरपुर

दिनांक 11.08.2020 कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
11/8/20  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Dr. Virendra Kumar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, BHOPAL & JABALPUR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)